न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 902/2022

अनवान : –

1. कान्ता पत्नी जगदीश सिंह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. अमरसिह पुत्र हजारी जाति छीपा (छीपी) निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ओम प्रकाश पुत्र हजारी जाति छीपा (छीपी) निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रताप सिंह पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. रामचन्द्र पुत्र हजारी जाति छीपा (छीपी) निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. लालचन्द पुत्र हजारी जाति छीपा (छीपी) निवासी फरवाईकला तहसील व जिला सिरसा।
6. सुलतानसिंह पुत्र हजारी जाति छीपा (छीपी) निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. जगदीश पुत्र भुराराम जाति छीपा (छीपी) निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. भानीराम पुत्र भुराराम जाति छीपा (छीपी) निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. शारदा पुत्री भुराराम पत्नी प्रकाश जाति छीपा (छीपी) निवासी तेजाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा
10. कमला पुत्री भुराराम पत्नी मोहनलाल जाति छीपा (छीपी) निवासी तेजाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
12. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर।
13. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक शाखा परलीका।।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम</u>

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
श्री राजपाल झोरड़ अधिवक्ता प्रतिवादी

<u>निर्णय</u> दिनांकः 16/01/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि वादीया एवं प्रतिवादीगण की कृषि भूमि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 202/193 के खसरा नं. 35/1 की कुल 4.7170 है० भूमि में से वादीया का 2530 / 4717 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 व 4 प्रत्येक का 206/23585 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 व 5 प्रत्येक का 413/4717 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3, 6 व मृतक भुराराम पुत्र हजारी प्रत्येक का 674/4717 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

जमाबंदी में दर्ज खातेदार भुराराम पुत्र हजारी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिस जगदीश, भानीराम, ओम प्रकाश, राजेन्द्र पुत्रगण भुराराम व शारदा, कमला पुत्रिया भुराराम

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

है जिन्हे अर्जीदावा में प्रतिवादी संख्या 7 ता 12 कायम किया गया है। वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगड़ा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा काश्त के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 202/193 के खसरा नं. 35/1 की कुल 4.7170 है० भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग–अलग तकसीम करवाकर खाता अलग से कायम करवा ले तो प्रतिवादीगण कुछ दिन तो आजकल 2 करते रहे आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 202/193 के खसरा नं. 35/1 की कुल 4.7170 है० भूमि पक्षकारान के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी स0 6 की तरफ से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर उपस्थित। प्रतिवादी स0 2 व 3 की तरफ से अधिवक्ता श्री राजपाल झोरड़ उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण को सम्यक नोटिस तामिल होने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण ने जवाब दावा इस आशय का पेश किया की अच्छी व मंदी भूमि के मुताबिक खाता व लगान अलग किया जाता है तो हमे कोई ऐतराज नही है। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई। वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने निवेदन किया की उक्त विभाजन प्रस्ताव एकपक्षीय तौर से तैयार किया गया है अत विभाजन प्रस्ताव पुन मंगवाया जावे।

विभाजन प्रस्ताव एवं नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त विभाजन सही तौर से एवं विधि सम्मत बनाया गया है। वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 202/193 के खसरा नं. 35/1 की कुल 4.7170 है० भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:56:06 IST
Reason: SelfAttested

1. कान्ता पत्नी जगदीश [illegible] खातेदार – ख. नं. 35/1 मी रकबा – 2.530 है. कि[illegible] नोहर
2. प्रतापसिंह पुत्र नेकीराम हि० सम्पूर्ण जाति जाट सा० देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा नोहर – ख. नं. 35/1 मी रकबा = 0.674 है० किस्म बा. 1

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

3. अमर सिंह पुत्र हजारी हि० 412/15130 जाति छींपा (छीपी) सा. देह खातेदार, ओमप्रकाश पुत्र हजारी हि० 413/15130 जाति छींपा (छीपी) सा. देह खातेदार, जगदीश प्रसाद पुत्र भूरा राम 1685/15130 हि० जाति छींपा (छीपी) सा. देह हाल रणजीतपुरा तह० हनुमानगढ़ खातेदार, भानीराम पुत्र भूरा राम 1685/15130 हि० जाति छींपा (छीपी) सा. देह हाल रणजीतपुरा तह० हनुमानगढ़ खातेदार, राजेन्द्र कुमार पुत्र भूरा राम 1685/15130 हि० जाति छींपा (छीपी) सा. देह हाल रणजीतपुरा तह० हनुमानगढ़ खातेदार, रामचन्द्र पुत्र हजारी हि० 412/15130 जाति छींपा (छीपी)) सा. देह खातेदार, रोहिताश पुत्र भूरा राम 1685/15130 जाति छींपा (छीपी) सा. देह हाल रणजीतपुरा तह० हनुमानगढ़ खातेदार, लालचन्द पुत्र हजारी हि० 413/15130 जाति छींपा (छीपी) सा. देह खातेदार राहिन पीएनबी परलीका, सुलतान सिंह पुत्र हजारी 674/1513 हि० जाति छींपा (छीपी) सा. देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा नोहर

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 16/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:36:06 IST
Reason: SelfAttested

<u>अंतिम पर्चा डिक्री</u>

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 902/2022

अनवान : –

1. कान्ता पत्नी जगदीश सिंह जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर।

– वादी

बनाम

1. अमरसिह पुत्र हजारी जाति छीपा (छीपी) निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. ओम प्रकाश पुत्र हजारी जाति छीपा (छीपी) निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. प्रताप सिंह पुत्र नेकीराम जाति जाट निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. रामचन्द्र पुत्र हजारी जाति छीपा (छीपी) निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. लालचन्द पुत्र हजारी जाति छीपा (छीपी) निवासी फरवाईकला तहसील व जिला सिरसा।
6. सुलतानसिंह पुत्र हजारी जाति छीपा (छीपी) निवासी बडबिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. जगदीश पुत्र भुराराम जाति छीपा (छीपी) निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
8. भानीराम पुत्र भुराराम जाति छीपा (छीपी) निवासी रणजीतपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
9. शारदा पुत्री भुराराम पत्नी प्रकाश जाति छीपा (छीपी) निवासी तेजाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा
10. कमला पुत्री भुराराम पत्नी मोहनलाल जाति छीपा (छीपी) निवासी तेजाखेड़ा तहसील डबवाली जिला सिरसा
11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।
12. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नोहर।
13. शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक शाखा परलीका।।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 902 सन 2022 निर्णय दिनांक 16/01/26

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण काबिल प्राथमिक डिक्री होने के कारण वाद वादीगण प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर को मौका कमिश्नर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि रोही मौजा बडबिराना तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 202/193 के खसरा नं. 35/1 की कुल 4.7170 है० भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार नि[illegible] खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:56:06 IST
Reason: SelfAttested

1. कान्ता पत्नी जगदीश सिंह हि० सम्पूर्ण जाति जाट सा० देह खातेदार – ख. नं. 35/1 मी रकबा – 2.530 है. किस्म बा. 1. राहिन पीएनबी नोहर

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2. प्रतापसिंह पुत्र नेकीराम हि० सम्पूर्ण जाति जाट सा० देह खातेदार राहिन पीएनबी शाखा नोहर – ख. नं. 35/1 मी रकबा = 0.674 है० किस्म बा. 1

3. अमर सिंह पुत्र हजारी हि० 412/15130 जाति छींपा (छीपी) सा. देह खातेदार, ओमप्रकाश पुत्र हजारी हि० 413/15130 जाति छींपा (छीपी) सा. देह खातेदार, जगदीश प्रसाद पुत्र भूरा राम 1685/15130 हि० जाति छींपा (छीपी) सा. देह हाल रणजीतपुरा तह० हनुमानगढ़ खातेदार, भानीराम पुत्र भूरा राम 1685/15130 हि० जाति छींपा (छीपी) सा. देह हाल रणजीतपुरा तह० हनुमानगढ़ खातेदार, राजेन्द्र कुमार पुत्र भूरा राम 1685/15130 हि० जाति छींपा (छीपी) सा. देह हाल रणजीतपुरा तह० हनुमानगढ़ खातेदार, रामचन्द्र पुत्र हजारी हि० 412/15130 जाति छींपा (छीपी)) सा. देह खातेदार, रोहिताश पुत्र भूरा राम 1685/15130 जाति छींपा (छीपी) सा. देह हाल रणजीतपुरा तह० हनुमानगढ़ खातेदार, लालचन्द पुत्र हजारी हि० 413/15130 जाति छींपा (छीपी) सा. देह खातेदार राहिन पीएनबी परलीका, सुलतान सिंह पुत्र हजारी 674/1513 हि० जाति छींपा (छीपी) सा. देह खातेदार राहिन एसबीआई शाखा नोहर

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह प्राथमिक डिक्री आज दिनांक ....16/01/26.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.29 10:56:06 IST
Reason: SelfAttested